

चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पेशेकार
सरकार दिनांक 31/10/2023 को पेश हो

[Signature]
S.D.O.

31/10/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपरिधत पेशेकार
सरकार ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा
जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पेशेकार
सरकार दिनांक 08/11/2023 को पेश हो।

[Signature]
S.D.O.

08/11/2023

पत्रावली पेश हुई... अधिकाधिक संघ द्वारा
व्यापिक कार्य स्थगित कराने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
23/11/23... को पेश की जावेगी

[Signature]

23/11/2023

पत्रावली पेश हुई... अधिकाधिक संघ द्वारा
व्यापिक कार्य स्थगित कराने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
05/12/23..... को पेश की जावेगी

[Signature]

05/12/2023

पत्रावली पेश हुई... अधिकाधिक संघ के सुवाब होने के कारण
व्यापिक कार्य स्थगित कराने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
13/12/2023 को पेश की जावेगी

[Signature]

13/12/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपरिधत पेशेकार
सरकार तत्कालीन सरकार द्वारा न्यायालय में उपरिधत
हो पत्रावली में जवाब पेश करने से इनकार कर NO-
objection किया। वकील प्राची ने आज न्यायालय में
निवेदन किया। उभय पक्षकार द्वारा बतस को
उभय पक्ष की बतस को भुजा गया। उभय पक्ष की बतस
पर मंजूर किया। पत्रावली में अंकित तथा पत्रावली
में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन कर गतनुता से मंजूर
किया। वकील प्राची द्वारा बतस के धारण दी गई



No objection

[Signature]
13/12/23

Form No. III

App-Z
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

शैखलाल

बनाम : श्रीमधारी लखी लकार सा.

स मुकदमा

प्रा० पत्र

नं०

102

सन् 2023

जारीत हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>दिल्ली से हम भर्तुष्ट है। प्राची का प्रा० पत्र धारा -128 स्वीकार भोग्य पाया जाता है। अतः प्राची का प्रा० पत्र धारा -128 का स्वीकार भोग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर प्रा० पत्र का निर्वाह प्रपत्र से लिखाया जाकर अदालत न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। फावली फंसल शुमार होकर इस अतिरिक्त से काम की जाकर शामिल दफतर है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>